UPEW010060142021

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP01632**

विशेष वाद सं०/1613/2021

उ०प्र० राज्य बनाम कमलेश कुमारी

मु०अ०सं०– 507/2019
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–फ्रैण्ड्स कालोनी जिला–इटावा।

दिनांक–16.05.2026

1. पत्रावली पेश हुई । अभियुक्ता उपस्थित।

2. अभियुक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 12ख/1 मयशपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी वृद्ध महिला है। प्रार्थिनी द्वारा विद्युत विभाग का समस्त राजस्व व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है। अब कोई शेष बकाया नहीं है। इससे पूर्व शमनीय आधार पर कोई मुकदमा निस्तारित नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त मुकदमा की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) की ओर से अपनी आख्या अंकित कर कथन किया गया है कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक सं०–6003 दिनांकित 17.09.2019 के अनुसार राजस्व शुल्क 16419/–रुपये व शमन शुल्क 8000/–रुपये दिनांक 13.09.2019 को जमा कर दिया गया है। वाद के निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है।

4. उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अधिशाषी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० इटावा द्वारा निर्गत पत्र संख्या 6003/वि0 वि0 ख 0 प्र०इ 0/ दिनांकित 17.09.2019 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके अनुसार अभियुक्ता द्वारा राजस्व शुल्क 16419/–रुपये व शमन शुल्क 8000/–रुपये जमा कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा शमन के आधार पर अभियोग की कार्यवाही समाप्त किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी है।

6. प्रस्तुत प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत शमनीय है। अतः न्यायहित में विशेष वाद शमन किये जाने योग्य है।

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.05.16 13:30:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता कमलेश कुमारी के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–152 के आधार पर शमन करते हुये, विशेष वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनुरूप अभियुक्ता कमलेश कुमारी को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है, अभियुक्ता का बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0 व0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632